उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 101/2021/2261/छप्पन-2021-13(सा0)/2021
लखनऊ, दिनांक: 01 दिसम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

नियुक्ति

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 की अनुरक्षण इकाई में वायुयान एवियानिक्स अनुरक्षण अभियंता के पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत श्री बसन्त कुमार द्विवेदी की संविदा सेवा दिनांक 28 फरवरी, 2022 को समाप्त होने के दृष्टिगत उक्त पद पर भर्ती हेतु चयन समिति द्वारा साक्षात्कार उपरान्त श्री अनन्त कुमार मिश्रा को रू0 2.25 लाख प्रतिमाह के पारिश्रमिक पर उक्त पद पर दिनांक 01 मार्च, 2022 से (श्री बसन्त कुमार द्विवेदी की संविदा समाप्त होने के उपरान्त) नियुक्ति प्रदान करने की संस्तुति की गई है।

2- चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 के अधीन अनुरक्षण इकाई में वायुयान एवियानिक्स अनुरक्षण अभियंता के पद पर दिनांक 01 मार्च, 2022 से श्री अनन्त कुमार मिश्रा को संविदा के आधार पर रू0 2.25 लाख प्रतिमाह के पारिश्रमिक एवं शासनादेश संख्या-1422/छप्पन-2011-17/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार 5% की वार्षिक वेतन वृद्धि यथासमय अनुमन्य करते हुए उक्त तिथि से आगामी 02 वर्ष के लिए अर्थात दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक के लिए नियुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्री अनन्त कुमार मिश्रा को उक्त की संविदा अवधि में उपर्युक्त नियत मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे।

4- श्री अनन्त कुमार मिश्रा से उनकी संविदा सेवा के सम्बन्ध में निर्धारित अनुबन्ध-प्रपत्र पर निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अनुबन्ध निष्पादित करके उसकी एक-एक प्रति श्री मिश्रा एवं शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।

6- इस पत्र के जारी होने के 20 दिन के अन्दर श्री अनन्त कुमार मिश्रा को अपना स्वीकृति-पत्र प्रेषित करना अनिवार्य है तथा यदि वह कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात दिनांक 01 मार्च, 2022 से 02 सप्ताह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वत: निरस्त समझा जाएगा एवं इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई अन्य पत्राचार नहीं किया जाएगा।

सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा,
3-605 मिलेनियम अपार्टमेन्ट,
प्लाट-2, सेक्टर-9 द्वारका,
नई दिल्ली-110077।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0सं0-101/2021/2261(1)/छप्पन-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री अनन्त कुमार मिश्रा से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करके उसकी एक-एक प्रति श्री मिश्रा एवं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
3. कोषधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।